मोटरदुर्घटना प्रतिकर अधिकरण/अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 कक्ष–2
हाथरस।

उपस्थित–श्रीमती राजेश्वरी टोलिया एच.जे.एस.

एम0ए0सी0पी0 सं0–01/2017

1. श्रीमती रश्मि देवी पत्नी स्व0 श्री रामकुमार उम्र 31 वर्ष।
2. कु0 दीप्ती पुत्री स्व0 श्री रामकुमार उम्र 7 वर्ष।
3. कु0 राखी पुत्री स्व0 श्री रामकुमार उम्र 5 वर्ष।
4. पंकज पुत्र स्व0 श्री रामकुमार उम्र 3 वर्ष ।
5. रोनित पुत्र स्व0 श्री रामकुमार उम्र 1 वर्ष।

अवयस्क बच्चे 2 लगायत 5 द्वारा निज माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका याची सं0–1,

6.गोकुल सिंह पुत्र श्री मोतीलाल ।

समस्त निवासीगण ग्राम सठिया थाना सासनी जनपद हाथरस।

...........याचीगण।

बनाम

1. शाखा प्रबंधक, चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मेरी गोल्ड 4 सहानजय रोड हजरतगंज लखनउ बीमित वानह टैम्पो नं0– यू0पी0 86 टी–4741,
2. कुलभूषण पुत्र श्री धन सिंह निवासी गॉव सुसायतकलां थाना व तहसील सासनी जनपद हाथरस मालिक वाहन टैम्पो नं0–यू0पी0 86 टी–4741,
3. नरेश कुमार पुत्र श्री बदन सिंह निवासी गॉव सुसायत कलॉ थाना व तहसील सासनी जनपद हाथरस चालक वाहन टैम्पो यू0पी0 86टी–4741,

.........विपक्षीगण।

निर्णय

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–166 तथा 140 के अधीन यह प्रतिकर याचिका, मोटर दुर्घटना से याची के पुत्र रामकुमार कुशवाह की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रितगण क्रमशः श्रीमती रश्मि देवी, कु0दीप्ती ,कु0 राखी,पंकज एवं रोनित अवयस्क की ओर से 23,06,000/–रूपये (तेईस लाख छः हजार रूपये) प्रतिकर की वसूली हेतु प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण के अनुरोध तथा सहमति से प्रतिकर याचिका सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करने हेतु आज दिनांक–09.12. 2017 को मेरे न्यायालय में प्रस्तुत हुयी। मध्यस्तता के फलस्वरूप उभयपक्ष सुलह समझौता के आधार पर प्रतिकर याचिका का निस्तारण कराने हेतु सहमत हुये। फलस्वरूप उभयपक्षों की ओर से लिखित समझौता 17क1 प्रस्तुत किया गया । याची पक्ष की ओर से क्रमशः मृतक की पत्नी श्रीमती रश्मि देवी तथा मृतक के पिता गोकुल सिंह याची सं0–6 एवं मृतक के अवयस्क पुत्र एवं पुत्रियॉ कु0दीप्ती,कु0राखी,पंकज,रोनित की संरक्षक माता श्रीमती रश्मि देवी ने स्वयं समझौता पत्र का निष्पादन किया है जिनके हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनमोहन शर्मा एवं रविरंजन द्विवेदी एडवोकेट द्वारा

की गयी। विपक्षी संख्या–1चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से समझौता पत्र का निष्पादन कम्पनी के स्थायी अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कमार पाण्डेय एडवोकेट ने किया है। उभयपक्ष रूपये 600000(छः लाख रूपये) की प्रतिकर राशि एक मुश्त प्राप्त कर प्रतिकर याचिका को अन्तिम तौर पर निस्तारित कराने हेतु सहमत हुये हैं। उभयपक्षों की ओर से यह भी अभिकथित किया गया है कि समझौता पत्र 17क1 उनकी ओर से स्वेच्छया से तथा बिना किसी दबाव के निष्पादित किया गया है।

मैं सन्तुष्ट हूँ कि उभयपक्षों के मध्य प्रतिकर याचिका में सन्निहित विवाद अन्तिम एवं प्रभावी रूप से निस्तारित हो चुका है, फलस्वरूप समझौता 17क1 स्वीकार किये जाने योग्य है एवं वर्तमान प्रतिकर याचिका समझौता 17क1 के अनुरूप निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिकर याचिका संख्या–01/2017 श्रीमती रश्मि देवी आदि बनाम चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य ,समझौता 17क1 के अनुरूप निर्णीत की जाती है। याचीगण प्रतिकर के रूप में रूपये 600000(छः लाख रूपये) विपक्षी सं0–1 चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त करेंगे। विपक्षी बीमा कम्पनी को आदिष्ट किया जाता है कि प्रतिकर की उक्त राशि चैक के माध्यम से इस अभिनिर्णय की तिथि से एक माह पन्द्रह दिन के अंदर इस न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करना सुनिश्चित करें।

प्रतिकर की उक्त राशि रूपये 600000(छः लाख रूपये) में से रू0 150000(एक लाख पचास हजार रूपये) याची सं0–1 श्रीमती रश्मि देवी को प्रदान किये जायेगें। जिसमें से 50,000रू0(पचास हजार रूपये)याची सं0–1 श्रीमती रश्मि देवी को नकद एवं रू0 100000(एक लाख रूपये) उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 02 वर्ष के लिये निवेश की जायेगी तथा याची सं0–6 गोकुल सिंह को उक्त धनराशि में से रू0 150000(एक लाख पचास हजार रूपये) प्रदान किये जायेगें। जिसमें से 50,000रू0(पचास हजार रूपये) नकद एवं रू0 100000(एक लाख रूपये) उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 02 वर्ष के लिये निवेश की जायेगी तथा शेष धनराशि कु0 दीप्ती एवं कु0 राखी को क्रमशः 100000–100000(एक–एक लाख रूपये) प्रदान किये जायेगें तथा याची पंकज एवं रोनित को क्रमशः 50000–50000 (पचास–पचास हजार रूपये) प्रत्येक को प्रदान की जायेगी जो उनके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में निरन्तरत जमा किये जायेगें। उपरोक्त एवार्ड तैयार किया जाये।

समझौता 17क1 एवार्ड का अंश होगा।

एम0ए0सी0टी0/अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0–2,हाथरस।

दिनांक–09.12.2017